

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार दुबे,
विशेष सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी,
बिहार।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी जिला पदाधिकारी एवं
सभी अनुमंडल पदाधिकारी
बिहार।

पटना, दिनांक 24-03-15

विषय:- सी०डब्लू०जे०सी० नं०-14940/2006 (लक्ष्मी प्रसाद यादव बनाम राज्य सरकार) के अन्तर्गत दिनांक-09.03.2015 को पारित आदेश के आलोक में बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन हेतु प्रतिवेदन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयाधीन याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने अपने आदेश दिनांक-09.03.2015 द्वारा बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन नहीं होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की है तथा सुनवाई के अगली तिथि-08.04.2015 के पूर्व मुख्य सचिव, बिहार एवं विधि सचिव को मुकदमा नीति, 2011 के प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन पर व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग प्रति शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया है। अतएव निदेशानुसार अनुरोध है कि बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के निम्नलिखित प्रावधानों के तहत मार्च, 2011 से अभी तक की गयी अनुशांसा/कार्रवाई पर विस्तृत प्रतिवेदन दिनांक-31.03.2015 तक निश्चित रूप से उपलब्ध करने की कृपा की जाय:-

1- उक्त नीति के प्रावधान 2.1 के तहत सभी विभागों में नॉडल पदाधिकारी की नियुक्ति की गयी है, जिनका मुख्य उद्देश्य मुकदमों की निगरानी तथा प्रभावी प्रबंधन है। नॉडल पदाधिकारी द्वारा मुकदमों की निगरानी तथा प्रबंधन के दौरान मुकदमों की संख्या में कमी लाने हेतु कौन-कौन सी सिफारिशें की गयी तथा कब, की प्रति के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

2- प्रावधान 2.4 (बी) के तहत प्रत्येक विभाग में विभाग स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक माह मुकदमों की प्रभावी समीक्षा है तथा इसके अन्तर्गत समिति द्वारा निर्णय लिया जाना है, जिसमें कोई वृहद प्रशासनिक एवं वित्तीय पहलू नहीं हो। यदि समिति समीक्षा के क्रम में पाती है कि कोई वृहद प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णय लिया जाना आवश्यक है तो अपनी अनुशांसा के साथ राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष विचारार्थ रखेगी। इस तरह के कुल कितने मामले विभाग स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष आये तथा समिति द्वारा क्या अनुशांसाएँ की गयी।

3- प्रावधान 2.4(सी) 2.4(डी) के तहत जिला में जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति एवं अनुमंडल में अनुमंडलीय स्तर अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। अतएव इन दोनों समितियों के समक्ष अब तक प्राप्त आवेदन की तिथि, निर्णय की तिथि तथा आवेदक को संसूचित आदेश की तिथि से कृपया अवगत कराया जाय।

4- प्रावधान 4.ए(1) के तहत प्रत्येक विभाग में शिकायत निवारण समिति प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठित है तथा इस समिति में प्राप्त शिकायत/आवेदनों को प्राप्ति की तिथि से 8 सप्ताह के अन्दर सकारण आदेश पारित कर आवेदक/शिकायतकर्ता


का संसूचित करने का प्रावधान है। इससे संबंधित प्रतिवेदन भेजते समय आवेदक/शिकायतकर्ता का नाम आवेदन प्राप्ति की तिथि, समिति का निर्णय तथा आवेदन/शिकायतकर्ता को संसूचित आदेश की संख्या एवं तिथि की प्रविष्टि कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

5- प्रावधान 4(सी) के तहत किसी आवेदक/शिकायतकर्ता का मामला माननीय न्यायालय के आदेश से आच्छादित रहने के फलस्वरूप न्यायादेश का लाभ आवेदक/शिकायतकर्ता को भी देय होगा तथा उनका दावा इस आधार पर कि वे उक्त याचिका में याची नहीं है, अमान्य/अस्वीकृत नहीं किया जा सकता तथा उन्हें न्यायालय में जाने के लिए बाध्य करना मुकदमा नीति के प्रावधानों के विपरीत होगा। इस प्रावधान के तहत शिकायतकर्ता/दावाकर्ता का नाम, आवेदन प्राप्ति की तिथि, विषय, आच्छादित न्यायादेश की संख्या एवं तिथि, समिति का निर्णय एवं शिकायतकर्ता/दावाकर्ता को संसूचित किये गये आदेश सं०/तिथि के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

उपर्युक्त सभी कंडिकाओं, पर प्रतिवेदन दिनांक-31.03.2015 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, साथ ही दिनांक-31.03.2011 (बि०रा०मु० नीति, 2011 के प्रवृत्त होने की तिथि) से अद्यतन कितने मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किया गया है तथा कितने मामले अभी प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने हेतु लम्बित है, मुकदमावाग विम्नृत प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय ताकि निर्धारित समय सीमा के अन्दर मुख्य सचिव एवं विधि सचिव की ओर से माननीय न्यायालय में प्रतिशपथ-पत्र दायर किया जा सके।

कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाये।

विश्वामभाजन



(उज्ज्वल कुमार दुबे)

विशेष सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी,

बिहार।